

भाग - III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव संख्या -FP/UK/ROAD/21335/2015

प्रस्ताव का नाम-जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगौंव-चापड़ा-कसलाना मोटर का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हे० तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 3.417 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

- | | | |
|--|---|---|
| 1. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | - | हां
(18.09.2018) |
| 2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। | - | हां |
| 3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। | - | स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर-मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया । प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत है । अतः उक्त वर्णित मोटर-मार्ग के लिए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानीपूर्वक किया जाए । |

तिथि- 16/10/2018
स्थान- मुनिकीरेती।

(पी०के० पात्रो)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त